क्रम संख्या—10

पंजीकृत संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009—11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई०
पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 18/XXXVI(3)/2010/87(1)/2009
देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2010 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2010)

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" का प्रतिस्थापन

2. उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2005) में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है में जहां–जहां शब्द 'उत्तरांचल' आया है, वहां वह शब्द 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

धारा 2 के खण्ड (घ) के पश्चात् खण्डों का पुनर्सख्यांकन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के पश्चात् हिन्दी भाग में खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) (ड) तथा (ढ) के रूप में पुनर्सख्यांकित कर दिये जायेंगे।

धारा 2 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन तथा खण्ड (ढ) के पश्चात् खण्ड (ण) का अन्तःस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ढ) के पश्चात् नया खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :–

"(ख) 'अनुमोदित संस्था' का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्था से है।"

"(ण) 'व्यावसायिक शिक्षा' का तात्पर्य बी0एड0, एम0एड0, पैरामेडिकल, मेडिकल, बी0पी0एड0, विधि शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त विज्ञान परिषद्, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

धारा 4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी; अर्थात :–

"(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल के लिए होगी।"

धारा 6 के खण्ड (क) एवं (झ) का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (क) एवं (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(क) तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना।

(झ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना।"

धारा 17 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात :–

"(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय | –अध्यक्ष |
| (ख) | प्रतिकुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (यदि कोई हो) | –सदस्य |
| (ग) | निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | –सदस्य |
| (घ) | कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर | –सदस्य |

(च) तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव; —सदस्य

(छ) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव; —सदस्य

(ज) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव; —सदस्य

(झ) न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव; —सदस्य

(ट) वित्त विभाग का सचिव/प्रमुख सचिव; —सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या उसका नाम निर्देशिती; —सदस्य

(ड) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति; —सदस्य

(ढ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकीविद्; —सदस्य

(ण) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नाम–निर्दिष्ट महाविद्यालयों के दो प्राचार्य; —सदस्य

(त) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित चिकित्साविद्, दो शिक्षाविद् एवं दो विधिविद्; —सदस्य"

धारा 20 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

8. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात :—

"(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय —अध्यक्ष

(ख) वित्त विभाग का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती —सदस्य

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती —सदस्य

(घ) उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती —सदस्य

(च) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती —सदस्य

(छ) न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती —सदस्य

(ज) कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा नाम–निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य —सदस्य

(झ) वित्त अधिकारी, तकनीकी विश्वविद्यालय —सदस्य"

धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी; अर्थात :—

"(1) राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के संबंध में और विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद् का गठन करेगी जो "तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद्" कहलायेगी।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(एक) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि तथा न्याय विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव या सचिव।

(दो) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति।

(तीन) तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रमुख सचिव/सचिव परिषद् के संयोजक होंगे।"

टिप्पणी–वरिष्ठतम् प्रमुख सचिव/सचिव परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

धारा 30 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

10. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नियामक परिषदों के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त समय में करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

11. (1) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2009), 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियिमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

No. 18/XXXVI(3)/2010/87(1)/2009

*Dated Dehradun, January 06, 2010*

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Technical University (Amendment) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 10 of 2010).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 January, 2010.

THE UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2009
(THE UTTARAKHAND ACT NO. 10 OF YEAR 2010)

Further to amend the Uttaranchal Technical University Act, 2005

AN
ACT

*Be it enacted by the State Legislative Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :--*

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2009. — Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In the Uttaranchal Technical University Act, 2005 (Act no. 5 of 2005) hereinafter referred to as the Principal Act, the word "Uttaranchal", wherever it occurs shall be substituted by the word "Uttarakhand". — Substitution of "Uttarakhand" in place of "Uttaranchal"

3. After clause (d) of section 2 of the Principal Act, the clauses (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) and (n) shall be as re-numbered in the Hindi version. — Renumbering of Clauses after Clause (d) of Section 2

4. In place of clause (b) of Section-2 of the Principal Act, the following shall be substituted and clause (o) shall be inserted after clause (n); namely :-- — Substitution of Clause (b) of Section 2 and Insertion of Clause (O) after Clause (n)

"(b) 'Approved Institution' means an institution of Techical and Professional Education approved by the University/State Government".

"(O) 'Professional Education' means B.Ed., M.Ed., Paramedical, Medical, B.P.Ed., Legal Education, research and training programmes and such other programmes or field declared to be such by Gazette Notification by the Central Government, in the consultation with Indian Ayurvedic Council, Indian Dental Science Council, Indian Pharmacy Council, National Teachers Training Council, University Grants Commission, Bar Council of India, Distance Education Council and other Regulatory Council related to Professional Education".

5. In place of Sub-section (1) of Section 4 of the Principal Act, the following Sub-section shall be substituted; namely :-- — Substitution of Sub-section (1) of Section 4

"The University shall for the purpose of exercising powers under this Act have the jurisdiction over the entire Uttarakhand in case of Technical Education and over Garhwal Division in the case of Professional Education".

6. In place of sub-section (a) and (h) of section 6 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely :-- — Substitution of Sub-section (a) and (h) of Section 6

"(a) To provide for and advancement Technical and Professional Education, Training and Research and to create an atmosphere conducive to entrepreneurship in close co-operation with the Industry."

"(h) To provide for and advancement of Technical and Professional Education, for the educationally backward classes and groups."

7. In place of sub-section (1) of section 17 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely :-- — Substitution of Sub-section (1) of Section 17

"(1) The Executive Council shall comprise the following :--

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Vice-Chancellor, Technical University | --Chairperson |
| (b) | Pro-Vice-Chancellor, Technical University (if any); | --Member |
| (c) | Director, Indian Institute of Technology Roorkee; | --Member |
| (d) | Vice-Chancellor, GB Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar, Nainital; | --Member |
| (e) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Technical Education; | --Member |
| (f) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Higher Education; | --Member |
| (g) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Medical Education; | --Member |
| (h) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Law | --Member |
| (i) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Finance; | --Member |
| (j) | Chairperson, All India Council of Technical Education, or his/her nominee; | --Member |
| (k) | Two reputed Industrialists nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government; | --Member |
| (l) | Two reputed Technocrats nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government; | --Member |
| (m) | Two Principals of Colleges nominated by the State Government by rotation; | --Member |
| (n) | Two Eminent Medical Experts, Two Eminent Educationists and Two Eminent Legal Experts nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government." | --Member |

Substitution of Sub-section (1) of Section 20

8. In place of sub-section (1) of section 20 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely :--

"(1) The Finance Committee shall comprise the following :--

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Vice-Chancellor, Technical University | --Chairperson |
| (b) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Finance or his/her nominee; | --Member |
| (c) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Technical Education or his/her nominee; | --Member |
| (d) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Higher Education or his nominee; | --Member |
| (e) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Medical Education or his/her nominee; | --Member |
| (f) | Principal Secretary/Secretary, Deptt. of Law or his/her nominee; | --Member |
| (g) | Two members of Executive Council nominated by the Vice-Chancellor; | --Member |
| (h) | Finance Officer, Uttarakhand Technical University; | --Member" |

9. In place of sub-section (1) and (2) of section 23 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely :-- Substitution of sub-section (1) and (2) of Section 23

"(1) For the purpose of effective co-ordination of Technical and Professional educational activities of the University set up in the State, particularly in relation to teaching, research, expansion of education and other similar activities and supervision over the academic and financial activities and programmes of the University, the State Government shall constitute a Council for Education and Research to be called The State Coordination Council for Technical and Professional Education."

"(2) The Council shall comprise the following Members, namely :--

(i) Principal Secretary/Secretary to the State Government In-charge Higher Education; Medical Education, Agriculture and Law.

(ii) Vice-Chancellors of G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Kumaon University, Technical University.

(iii) Principal Secretary/Secretary Department of Technical Education shall be the Convener of the Council.

**Note**--Senior most Principal Secretary/Secretary, shall preside over the meeting of the Council."

10. In place of sub-section (3) of section 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely :-- Substitution of sub-section (3) of Section 30

30-(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or All India Council for Technical Education or other various Regulatory Councils of related to Professional Education or the State or National Education Policy require the Executive Council to make new or additional Regulation or amend or repeal the Regulation referred to in sub-section (1) or (2) within the specified period and if the Executive Council fails to comply with such requirement within reasonable time the State Government may make new or additional regulation or amend or repeal the regulation referred to in Sub-section (1) or sub-section (2).

11. (1) The Uttarakhand Technical University (Amendment) Ordinace, 2009 (Uttarakhand Ordinance No. 3 of 2009) is hereby repealed. Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the provisions of the Principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) the Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal act as amended by the Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
*Secretary.*

पी०एस०यू० (आर०ई०) 17 विधायी/45–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।